निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, शुक्रवार, 21 जून 2024

लघु जल संसाधन विभाग

सं0 ल0ज0सं0/रा0न0यो0–वि0न0को0–35/2022–2864

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

दिनांक– **20.06.2024**

विषयः– लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना'' हेतु कुल 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए ₹ 26600.00 लाख (रूपये दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित शर्तों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेशः– स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–20.06.2024 को संपन्न बैठक में मद संख्या–06 के रूप में सम्मिलित लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना'' हेतु कुल 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए ₹ 26600.00 लाख (रूपये दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. लघु जल संसाधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–271(न0को0) दिनांक–31.07.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना'' अन्तर्गत कुल 30,000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु रु0–22200.00 लाख (रुपये दो सौ बाईस करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित है ।

3. पूर्व से स्वीकृत 30,000 नलकूपों के अतिरिक्त पूर्व से सर्वेक्षित सार्वजनिक नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र में असिंचित भूमि में सिंचाई प्रबंधन हेतु अतिरिक्त 5,000 निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया जायेगा ।

4. नलकूपों की संख्या में वृद्धि के कारण पूर्व से स्वीकृत 22200 लाख़ की राशि को पुनरीक्षित करते हुए रु0– 26600.00 लाख (रूपये दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

5. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण के अतिरिक्त योजना से संबंधित अनुदान हेतु पात्रता की शर्तों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(i) वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कमांड क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि हो, इसके पात्र होंगे ।

(ii) कृषकों के स्वयं के नाम से भू–धारकता प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भू–धारकता प्रमाण–पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर भी आवेदन के लिए योग्य होंगे परन्तु ऐसे मामलों में भी एक भू–धारकता प्रमाण–पत्र के आधार पर अन्य शर्तों को पूर्ण करने पर मात्र एक नलकूप के अधिष्ठापन हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

(iii) लाभुक कृषकों द्वारा निकटवर्ती कृषकों को पटवन उपलब्ध कराया जायेगा । इस संबंध में पटवन का किराया/शुल्क का निर्धारण किसान आपसी सहमति से कर सकेंगे ।

(iv) योजना के परिचालन में आने वाली कठिनाईयों एवं कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया जा सकेगा ।

6. योजना से संबंधित शेष प्रावधान/शर्तें यथावत् रहेगी ।

7. योजना के क्रियान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8. योजना से संबंधित पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पात्रता की शर्तों में संशोधन लोक वित्त समिति द्वारा अनुशंसित है ।

9. संचिका संख्या– **ल0ज0सं0/रा0न0यो0–वि0न0को0–35/2022** के पृ0–118/टि0 पर सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) की स्वीकृति प्राप्त है ।

10. उक्त संचिका के पृ0–119/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

11. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,
संगीता सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+50-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in